अपील सूचना अधिकार संख्या 129/2020 (RCMS 2020/00217) नीरज कुमार पुत्र भजन लाल निवासी 67 सी ब्लॉक, नजदीक बीएसएफ चौक, श्रीगंगानगर–335001 (मोबाईल नम्बर 85917–61214) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नीरज कुमार स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से चार बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 911 दिनांक 15.09.2020 से अपीलाथी का मूल पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया था किन्तु लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री नीरज कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. राजस्थान में पैदा हुई विवाहित स्त्री और उसके माता–पिता व पति भी राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो, मूल निवास प्रमाण पत्र (Bonafide) बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और उससे सम्बन्धित भारत सरकार या राजस्थान सरकार की अधिसूचना या परिपत्र हो तो कॉपी उपलब्ध करवाई जावे।
2. राजस्थान में पैदा हुई विवाहित स्त्री और उसके माता पिता व पति भी राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो, क्या वह अपनी इच्छानुसार मूल निवास प्रमाण पत्र अपने माता–पिता के निवास स्थान पर बनवा सकती है। इससे सम्बन्धित कोई परिपत्र राजस्थान सरकार का है, तो कॉपी उपलब्ध करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 129/2020

3. राजस्थान में पैदा हुई विवाहित स्त्री और उसके माता पिता व पति भी राजस्थान के मूल निवासी हो, विवाह उपरान्त कुछ समय (एक महीने) के लिए अपने पति के मूल स्थान पर रही हो और उसके उपरांत अपने आपके (राजस्थान) में माता पिता के साथ हो और पति पत्नी का तलाक केस न्यायालय में प्रक्रियाधीन हो तो क्या वह अपने माता पिता के निवास स्थान पर पिता के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र (Bonafide) बनवा सकती है। जबकि उसके सभी दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, माता पिता के निवास स्थान के हो। इससे सम्बन्धित भारत सरकार या राजस्थान सरकार का परिपत्र हो तो उपलब्ध करवाया जाए।
4. राजस्थान में पैदा हुई विवाहित स्त्री और उसके माता–पिता भी राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और उसका पति परदेशी (किसी बाहरी देश का नागरिक हो) मूल निवास (Bonafide) बनवाने में किन–किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 210 दिनांक 13.10.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रेषित सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार या राज्य सरकार की अधिसूचना या परिपत्र की प्रतिलिपि चाही गयी थी। उक्त सूचना के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 15/1(32)गृह–9/61 पार्ट, जयपुर [illegible].08.2012 की प्रतिलिपि भिजवाई जा रही है। अन्य कोई [illegible] में उपलब्ध नहीं हैं। सम्बन्धित विभाग से सूचना प्राप्त करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:57 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 13.10.2020 को जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या मांग करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 13.10.2020 को दिया गया उत्तर** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:57 IST
Reason: SelfAttested